

## जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स किसान कन्सट्रक्शन कम्पनी, प्रस्तावित खनन परियोजना (मेसेनरी स्टोन) के खनन की कलस्टर मय खनन परियोजना, रेफेरन्स नं. – 20211000046069, क्षेत्रफल – 1.9738 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 100400 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल – 9.9738 हैक्टेयर, कलस्टर की उत्पादन क्षमता – 709172 टन प्रतिवर्ष (रोम), ग्राम– दुजार, तहसील – लाड़नूं, जिला – नागौर (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लाड़नूं, जिला नागौर की अध्यक्षता में दिनांक 03.03.2023 को दोपहर 11:00 बजे भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई.टी.सेन्टर), गांव– दुजार, तहसील– लाड़नूं, जिला–नागौर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही (**Minutes**) का विवरण :-

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु.2023/335 दिनांक 16.01.2023 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–नागौर/पी.यू.बी.– 146/2001 दिनांक 18.01.2023 के अनुपालना में मैसर्स किसान कन्सट्रक्शन कम्पनी, प्रस्तावित खनन परियोजना (मेसेनरी स्टोन) के खनन की कलस्टर मय खनन परियोजना, रेफेरन्स नं. – 20211000046069, क्षेत्रफल – 1.9738 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 100400 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल – 9.9738 हैक्टेयर, कलस्टर की उत्पादन क्षमता – 709172 टन प्रतिवर्ष (रोम), ग्राम– दुजार, तहसील – लाड़नूं, जिला – नागौर (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जनसुनवाई दिनांक 03.03.2023 को आयोजित की गई। जन सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है। जनसुनवाई की आम सूचना दो स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति समाचार पत्र एवं राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में दिनांक 23 जनवरी 2023 (सोमवार) को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।

जनसुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुकों का स्वागत किया। तत्पश्चात श्री अनिल कुमार उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं, जिला नागौर की अनुमति से जनसुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने जनसुनवाई के प्रावधान, उद्देश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार वाईब्रेंट टेक्नो लेब प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश कुमार शर्मा के माध्यम से जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को विस्तृत जानकारी दी। खनन परियोजना के सम्बन्ध में, कलस्टर प्रमाण पत्र एवं नक्शा जानकारी, परियोजना की स्थिति, लोकेशन मैप, खनन पट्टे की गूगल इमेजरी, परियोजना की प्रमुख विशेषताएं, परियोजना का विवरण, क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति का विवरण, परिवहनभार, पर्यावरण संरक्षण उपाय, खनन की समय सीमा समाप्ति पर भूमि का उपयोग, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टिका का विकास, पर्यावरण प्रबंधन योजना (वायु, जल, ध्वनि, ठोस अपशिष्ट गुणवत्ता प्रबंधन,) व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया खनन योजना के दौरान ऑवर बर्डन के रूप निकलने वाले अपशिष्ट को अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार इकट्ठा किया जायेगा एवं वृक्षारोपण द्वारा स्थिर किया जायेगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित खनन परियोजना से होने वाले प्रदूषण, उसके प्रबंधन तथा मण्डल मानकों के अनुरूप रोकथाम करने के प्रस्तावित प्रयासों से अवगत कराया। साथ ही वृक्षारोपण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर एवं श्री अनिल कुमार उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं, जिला नागौर की ओर से जनसुनवाई में

3e

Savita

उपस्थित लोगों को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया।

इसी क्रम में उक्त खनन परियोजना से संबंधित उपस्थित व्यक्तियों में से कुछ विचार मौखिक रूप से व्यक्त किये गये जो निम्न प्रकार हैं:-

1. श्री भंवर सिंह निवासी ग्राम दुजार ने सुझाव व्यक्त किया की आस-पास क्षेत्र में सड़को का निर्माण किया जाना चाहिए।
2. इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि परियोजना प्रस्तावक के द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण के उपायो के तहत किये जाने वाले कार्यों के अन्तर्गत खनिज परिवहन मार्ग के रखरखाव का प्रावधान रखा गया है जिसके हेतु 1.0 लाख रुपये प्रतिवर्ष एवं सामाजिक दायित्वो के तहत किये जाने वाले कार्यों के अन्तर्गत आस-पास के गांवो मे सड़को की मरम्मत हेतु 0.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष व्यय करने का प्रावधान रखा गया है।
3. श्री राजेन्द्र स्वामी, पूर्व पंचायत सहायक ने पूछा कि जो भी बजट अथवा कार्य बताये गए है उनकी पालना कौन करेगा तथा पूर्व की परियोजनाओ द्वारा जो ध्वनि प्रदूषण होता है एवं खनिज को ट्रको में ढक कर नही ले जाया जाता है तथा यह भी सुझाव दिया की जो भी कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणी एवं समाज कल्याण हेतु बताये गए है विभाग द्वारा इसका समय-समय पर निरीक्षण किया जाए क्यो की पूर्व की परियोजनाओ द्वारा इनकी पालना नही हो रही है तथा कहा की इस क्षेत्र में पूर्व कई वर्षो से बहुत सी मान्यता प्राप्त खनन परियोजनाए चल रही है परन्तु डी.एम.एफ.टी. फण्ड द्वारा गाव के विकास हेतु कोई भी कार्य नही किया गया है तथा आग्रह किया कि खान विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा गांव के विकास हेतु डी.एम.एफ.टी. फण्ड का पैसा इसी क्षेत्र में लगाया जाये।
4. इस उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं ने भी बताये गए पर्यावरणीय एवं सामाजिक कार्यों के बारे में पूछा की इनकी पालना कौन करेगा।
5. इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया की जो भी पर्यावरणीय एवं सामाजिक कार्यों के बारे मे बताया गया है जब इस परियोजना को पर्यावरणीय अन्नापत्ति प्रमाण प्रत्र प्राप्त होगा तब उसमे ये सभी बिन्दु सशर्त दिये जाते है तथा

3c

*Devita*

उनकी पालना हेतु परियोजना प्रस्तावक बाध्य होता है एवं इस हेतु उसे प्रत्येक 6 माह मे एक कम्पलाईन्स रिपोर्ट भी सम्बन्धित विभागो में भेजनी होती है तथा अगर वह इसकी पालना नही करता है तो यह पर्यावरणीय अन्नापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का प्रावधान भी है। तथा जो भी कल्याण के कार्य डी.एम.एफ.टी. फण्ड द्वारा किये जाने चाहिए उस हेतु वे सक्षम विभाग अथव प्रशासन से कह सकते है।

जनसुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात उक्त खनन परियोजना से संबंधित कोई भी सुझाव/ अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नहीं हुए है।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई के दौरान ग्रामवासियों/व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद के साथ श्रीमान श्री अनिल कुमार उपखण्ड अधिकारी लाडनूं नागौर की अनुमति से पर्यावरणीय जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा के साथ जन-सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

श्री अनिल कुमार

उपखण्ड अधिकारी

लाडनूं जिला नागौर (राज.)  
(राज.)

श्रीमती सुविता  
*Suviata*  
क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नागौर,

## उपस्थिति पत्रक

मैसर्स किसान कन्सट्रक्शन कम्पनी, गांव-दुजार, तहसील-लाडनूं, जिला-नागौर के "मेसनरी स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट, रेफरेंस नं. - 20211000048069, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 100400 टन प्रतिवर्ष (रोम), क्षेत्रफल - 1.9738 हेक्टेयर एवं क्लस्टर उत्पादन क्षमता 709172 टन प्रतिवर्ष (रोम), क्लस्टर क्षेत्र 9.9738 हेक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :- भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गाँव- दुजार, तहसील-लाडनूं, जिला-नागौर  
जिला :- नागौर।

दिनांक :- 03.03.2023

समय :- प्रातः 11:00 बजे से

क्र.स.	नाम व पता	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	Anil Kumar SDN Ladnu	9460760009	3e
2.	Savita, Ro, RSPCB, Nagaur	9983411222	Savita
3.	Piyaj Gan, RSPCB	9549800647	Gan
4.	Shivdeyal Godarey	9549956601	Shivdeyal
5.	V. Kishan (Project Manager) M/S Kishan Construction Co.	9414085568	Kishan
6.	Umesh Sharma (Env. Advisor) Vibrant Technology Pvt. Ltd	800577798	Umesh
7.	Ravi Kumar Vibrant Techno Lab Pvt Ltd	8005729139	Ravi Kumar
8.	मोहनराम यादव दुजार	8829997815	मोहनराम यादव
9.	माल. रोड डेप. रजिस्ट्रार	9571253589	Mal. Road
10.	शुभा सिंह जोषा	9929905467	Shubha
11.	मोहन लाल	9982096784	Mohan Lal
12.	शिवधर जोषा	9166567273	Shivdhar
13.	अनिल लाल जोर	9828948192	Anil Lal
14.	शिवधर जोषा	9460652642	Shivdhar

## उपस्थिति पत्रक

मैसर्स किसान कन्सट्रक्शन कम्पनी, गांव-दुजार, तहसील-लाडनूं, जिला-नागौर के "मेसनरी स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट, रेफरेंस नं. - 20211000048069, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 100400 टन प्रतिवर्ष (रोम), क्षेत्रफल - 1.9738 हैक्टेयर एवं क्लस्टर उत्पादन क्षमता 709172 टन प्रतिवर्ष (रोम), क्लस्टर क्षेत्र 9.9738 हेक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :- भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गाँव- दुजार, तहसील-लाडनूं, जिला-नागौर

जिला :- नागौर।

दिनांक :- 03.03.2023

समय :- प्रातः 11:00 बजे से

15.	लक्ष्मीराम	9928249413	लक्ष्मीराम
16.	सुरेश सिंह	9828251287	सुरेश सिंह
17.	व्यामचन्द	7597440364	व्यामचन्द
18.	शिवराज राठौड़	8875530510	शिवराज राठौड़
19.	दिनेश सिंह	9904804114	दिनेश सिंह
20.	श्रीराम	6378460112	श्रीराम
21.	गोपालराज	9587562935	गोपालराज
22.	दुलाराम	9783273934	दुलाराम
23.	जगदीश	8290353172	जगदीश
24.	सिलराम	9413117597	सिलराम
25.	नेरु सिंह	8432248540	नेरु सिंह
26.	रामनिवास		रामनिवास
27.	सुरेन्द्र कुमार	9521493081	सुरेन्द्र कुमार
28.	जय चत	9413385568	जय चत
29.	श्रीमधुकाश		श्रीमधुकाश

## उपस्थिति पत्रक

मैसर्स किसान कन्सल्टेशन कम्पनी, गांव-दुजार, तहसील-लाडनूं, जिला-नागौर के "मेसनरी स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट, रेफरेंस नं. - 20211000048069, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 100400 टन प्रतिवर्ष (रोम), क्षेत्रफल - 1.9738 हैक्टेयर एवं क्लस्टर उत्पादन क्षमता 709172 टन प्रतिवर्ष (रोम), क्लस्टर क्षेत्र 9.9738 हेक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :- भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गाँव- दुजार, तहसील-लाडनूं, जिला-नागौर

जिला :- नागौर।

दिनांक :- 03.03.2023

समय :- प्रातः 11:00 बजे से

30.	मुकेश चौरा	9982170259	मुकेश चौरा
31.	अर्जुन बाम	9672507690	Arjun
32.	संजय कुमार	9828059775	संजय कुमार
33.	निर्मला	9784995042	निर्मला
34.	Vijay Kuri	9828860607	Vijay
35.	Shivendra Godwara	7734995193	Shivendra
36.	सीमा यादव खन्ख	8003626079	सीमा यादव
37.	मूली रेवाड़ी पटवारी	8619895430	Muli
38.	राम चन्द्र प्रजापत रामाशिकाष आशिकाषी	9828603451	Ram
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			







क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

भीम

150  
YEARS OF  
CELEBRATING  
THE NAGOURA

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिसलाइन के सामने,

नागौर- 341001 (राज.) ई-मेल : rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक :- राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी-146/2006

दिनांक : 18.01.2023

### पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "मेसोनरी स्टोन माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (Ref. no. 20211000046069, एम.एल. नं. - 07/12, 11/10, 34/14, 05/18, 09/13, 03/18, 02/18), कुल क्लस्टर क्षेत्र 9.9798 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 709172 TPA (ROM)", आवेदक मेसर्स किसान कन्सट्रक्शन कम्पनी, क्षेत्र - 1.9738 हेक्टेयर, खसरा नं. 624/155, 686/155, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता नं. - 100400 TPA (ROM) (सेलेबल मिनरल - 70280 TPA & वेस्ट मिनरल - 30120 TPA), गांव दुजार, तहसील- लाडनू जिला- नागौर से सम्बंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मेसर्स **किसान कन्सट्रक्शन कम्पनी**, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से संबंधित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
  1. जिला कलक्टर, नागौर,
  2. सीईओ जिला परिषद, नागौर,
  3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4. संस्थानिक क्षेत्र, झालाना इंगरी, जयपुर,
  4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर,
  5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर,
  6. उपखण्ड अधिकारी लाडनू,
  7. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिको, नागौर,
  8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर,
  9. ग्राम पंचायत दुजार,
  10. भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गांव दुजार, तहसील-लाडनू, जिला- नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक : न्याय/ प्रदूषण/ज.सु.2022/328 दिनांक 16.01.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.03.2023 (शुक्रवार) को प्रातः 11.00 बजे, स्थान- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गांव- दुजार, तहसील- लाडनू, जिला- नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर, जिला- नागौर को भी दिए जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय : सविता, क्षेत्रीय अधिकारी

DNA-272416

MeNEXT

पत्रिका कैरियर की उड़ान



गंभीर नहीं बनाएं हम लोग इसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवित का मजा जीवित, इसे गंभीर मत बनाए।
रसन टाटा, उद्योगपति

भारतीय जीवन बीमा निगम एडीओ के 9394 पदों पर नौकरी के अवसर

राष्ट्रीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने उच्च अंशक, उच्च मध्य अंशक, पर्सनली अंशक सहित विभिन्न अंशक कार्यालयों के अर्जित करने वाले विभिन्न मूलक कार्यालयों के लिए प्रमुख विकास अधिकारी (एडीओ) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इस भर्ती के जॉब कुल 9394 पदों को धरा जाएगा। 1 जनवरी, 2023 तक किसी भी स्ट्रीम में स्नातक अर्थात् आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए अर्जियों का चयन ऑनलाइन परीक्षा, इंटरव्यू और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

अर्जियों वेबसाइट lici.in/Bottom-Links/careers पर दालिन कर। 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में मान्य, ओबीसी और ईंधनधारक अर्जियों को 750, जबकि एएससी/एसटी अर्जियों को 100 रूप्य धरने होंगे। टेडेशन शुल्क अतिरिक्त देना होगा।

एलडीसी सहित अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित

आयु सीमा 1 जनवरी, 2023 तक अर्जियों को 25 से 30 वर्ष के बीच होने चाहिए। एएससी, एलटी, ओबीसी, विभागीय कर्मचारी और पूर्व सेवकों को नियुक्त करने आयु सीमा में छूट मिलेगी।

गैर-शिक्षण पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी

राजस्थान के अनेक जिलों में गैर-शिक्षण पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 1 दिवस, 2022 तक अर्जियों को आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होने चाहिए। एएससी, एलटी, ओबीसी, पूर्व सेवकों और विभागीय कर्मचारियों को केट सरकार के प्रविष्टानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। 5वीं पारम से लेकर 12वीं उर्जा अर्थात् अधिकारिका वेबसाइट nasirabad.nic.in पर आवेदन पत्रों को दालनित कर।


गैर-शिक्षण पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी

राजस्थान के अनेक जिलों में गैर-शिक्षण पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 1 दिवस, 2022 तक अर्जियों को आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होने चाहिए। एएससी, एलटी, ओबीसी, पूर्व सेवकों और विभागीय कर्मचारियों को केट सरकार के प्रविष्टानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। 5वीं पारम से लेकर 12वीं उर्जा अर्थात् अधिकारिका वेबसाइट nasirabad.nic.in पर आवेदन पत्रों को दालनित कर।

रामलुभाया कमेटी गठन के बाद फिर से जिला बनाने की उम्मीद जगी

अंग्रेजी शासन का लाट (कलक्टर) मुख्यालय था डीडवाना

सरस्वती नदी किनारे बसा था आभागणराज्य, शैव धर्मियों का क्षेत्र डीडवाना उपकाशी के नाम से भी खस्ता है पहावन, विक्रम संवत 252 में डीडूशाह माहेश्वरी ने की थी डीडवाना की पुनः स्थापना



डीडवाना, आभागणरी के नाम से पहचाना जाता है इसका डीडवाना शहर का विहंगम नजारा।

राजस्थान के 23 जिलों के 59 शहरों को जिला मुख्यालय घोषित करने की है मांग

डीडवाना में है कलक्टर व एसपी कार्यालय के अलावा लगभग सभी जिला स्तरीय कार्यालय संचालित

बजरंग चारीक

डीडवाना, राजस्थान सरकार ने सोलह साल के लंबे अंतराल के बाद प्रथम से यह जिले बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए आर्यएसएस रामलुभाया कमेटी ने 22 मार्च 2022 को एक संक्षिप्त कर पत्रिका जारी की। इसके बाद नौगरी जिले के पी डी भाग कर रखा जिला बनाने की उम्मीद जगी है।

सभी जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित जाकारा के अनुसार 1994 में अनुमानित के साथ डीडवाना को जिला बनाने संघीी लगभग सभी पूर्णिक कर रिपोर्ट तलाकन सरकार के समक्ष पेश की गई। वर्ष 1994 के बाद लगभग सभी जिला स्तरीय कार्यालय समय-समय पर डीडवाना में स्थापित किए गए, 20 जनवरी 2014 को राजस्थान सरकार ने नर जिलों का गठन करने के लिए एडिपैरर कमेटी

व्या कहते हैं जानकार आर की हरि से डीडवाना मकरान के सार्विक आग देते ताल जल है, जो एक जमाने में पूरे देश को चकमक करने में उतार मारतमपुी योदान निराली की। जिला स्तरीय को रस्टिडिम करतक निकासी है। डीडवाना की-डी पहावन स्थिति मुख्यालय (डीडवाना व मालीर) और पी-डी विहाक (डीडवाना और लानु मुख्यालय का 25 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। एक अनुमान के अनुसार किसी भी हिले को प्रथिम करतक पर राजस्थान सरकार पर लगभग 100 करोड रुपय का अतिरिक्त भार पड़ेगा, प्रथम में कुछ ऐसे दवेदार भी हैं जहां लगभग सभी जिला स्तरीय कार्यालय कांस्ट्रक्शन होने के कारण मात्र लगभग 30 करोड रुपय के अतिरिक्त भार पर जिला प्रशासन बनाया जा सकता है। प्रवेसर से जिला मुख्यालय के लिए 59 रहडर-करने का मांग की है, उनमें कुछ रहडर तो ऐसे हैं जहां अभी तक विधानसभा सीट तक नहीं है। तदुसी स्थिति विभागीय भी कांस्ट्रक्शन नहीं है। इतनी कमी से कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करने में विवक हो गई।

सलीम खान पंडित, अरिच कलक्टर

राजस्थान हरि से डीडवाना में अतिरिक्त जिला कलक्टर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एक के एक रिपोर्ट से जिला पत्र पत्र न्यायविकीय सहायिका की संवर्धित कर रहे हैं। कांस्ट्रक्शन विभाग निगम का एएस डी अडवर्ग व विद्युत विभाग के अधिकारी अर्थात्, विद्युत परिधान अधिकारी, विद्युत सैकिक कल्याण कार्यालय, विद्युत अडवर्ग।

रोडेज किपे, अमृत भारत योजन में सैकितर रखे स्टेशन, प्रखन कलक्टर, एएसआई का जिला स्तरीय कार्यालय डीडवाना है। यहां पर राजस्थान का सस्ती जुरना महसुबियत, संस्कृत मासिकाल, महसुबियत मासिकाल की संवर्धित है। राजस्थान से दूरदूरी के बाद, सार्विकी सैकिक डीडवाना से जाते हैं अडर-कला व सैकिक है कि देना सेवा में भी अडगी है।

सलीम खान पंडित, अरिच कलक्टर

सलीम खान पंडित, अरिच कलक्टर

रामायण में से उपकाशी का वर्णन बहोतीरि मांरग्य में उपरान्त है। अंग्रेजों को बाद में डीडवाना टाट (सर्वतन में कलक्टर) मुख्यालय रहा है। माहाबाय राज के पुर पुरयु पापुपु डीडवाना नागौर, डीडौर और दवेरसकौर को वर्णन

इतिहासियों के अनुसार सरस्वती नदी किनारे बसा डीडवाना कौर को पहावन आभागणरी के नाम से

ही। इसके बाद जेठ को शरदकलक्टर, जेठ पुंकर

लोहारलक फेला हुआ जा उन कमेटी में 6 माहसुबियों का आग्रम

हरिण का शिकार कर मीट पकाता शिकारी गिरफ्तार



जयल, हरिण शिकार की घटना पर रोष प्रकट करते नवजोषी प्रेमी।

हरिण की खाल, मीट व तबियत बरामद

नर विभाग की टीम ने आरोपी के पास से अडेथ टोपीकार बन्दूक, हरिण की काला पकाता मांस, खाल, हरिण मीट काटने के औजार, भारू कुत्तार, लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी व बाल बरामद किए। आरोपी हरिण का शिकार कर मीट बेचने का काम करता है। वन्यजीव प्रेमियों ने जताया रोष

सुपका के बागदास मंदिर में मूर्ति स्थापना 26 को

डीडवाना में सुपका के बागदास मंदिर में 26 जनवरी को बागदास मंदिर को मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम होगा। इस मौके पर भजन तथा का अडगी भी किया जाएगा। गौरव मंदिरा विद्युत व नवतन बेवलायत नगाडा

बारानी मामले में सांसद गहलोत ने भेजा परिवहन मंत्री को पत्र

नागौर में पत्रिका राजस्थान शासन द्वारा हलती ने केंडी परिवहन मंत्री जितन हाडकरी को पत्र भेजकर बारानी के बहानी नाम से पुनः नवके शक्ति व आरू दिन होने वाली कलकट दुर्घटना की विकाय के लिए प्रथमि प्रयास करने की मांग की है। पत्र में बताया कि जिला मुख्यालय के किक्टवर्डी बस बहानी से नवके हादसे-62 जुराना है। इस हादसे के दोनै तरफ पूरु व परिश्रमी का भी बुरा नाम हुआ है। इस पत्र के दोनै ओर के बस स्टैंड के समीप ही आभागणरी, पनावन गड, टा सहायक केंड, पूरु निकितकलक्टर, पीएचडी, नगरी परिवहन विभाग वाकट रिगत है। इसके साथ ही राजस्थान राज्य नवके विवालय के साथ-साथ एक निजी विवालय भी थिती है, जो नवके है किनारों पर ही है। इसमें बस हादसे का आभागणर राजन है और आरू दिन दुर्घटनाएं होती हैं।

कानूनी कार्रवाई के आशवासन पर परिजनों ने मजदूर का शव लिया

मिस्कर मशीन गिरने से दबकर मजदूर की कोटा मामला

मौलार में पत्रिका आरोपी मिस्कर मशीन के नीचे दबने से मर चुका शव शिकार को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों के सुर्द कर दिया है। परिजनों की सहायता और कानूनी मदद के आशवासन के बाद सहायक कलक्टर शव लेने को राजी हुए। परिजनों के सुर्द कर परिजनों पर मायावत कर लगा है। बस अधिकारी नवके देव रिलीज ने बताया कि मोनसलक पुर प्रोग्राम एर मोनसलक पर रिपोर्ट दर्ज करके मौलार के धनकोटी डीडी कार्यालय में कानूनी मदद के निमाग हो रहा है, जिसमें उरकका रजुराम (3) मजदूर करतक है।

मौलार में पत्रिका आरोपी मिस्कर मशीन गिरने से दबकर मजदूर की कोटा मामला

मौलार में पत्रिका आरोपी मिस्कर मशीन गिरने से दबकर मजदूर की कोटा मामला

आयुर्विद्वान चिन्तिका शिविर आज से

आयुर्विद्वान चिन्तिका शिविर आज से

आयुर्विद्वान चिन्तिका शिविर आज से

आयुर्विद्वान चिन्तिका शिविर आज से



# क्षेत्रीय कार्यालय

## राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

1508

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर-341001 (राज.), ई-मेल- torpcb.nagaur@gmail.com  
क्रमांक: राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-146/2006 दिनांक: 18.01.2023

### पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

01. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसोनरी स्टोन माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (Ref. No.- 20211000046069, एम.एल.नं. 07/12, 11/10, 34/14, 33/14, 05/18, 09/13, 03/18, 02/18), कुल क्लस्टर क्षेत्र- 9.9738 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 709172 TPA(ROM) आवेदक मैसर्स किसान कन्सट्रक्सन कम्पनी, क्षेत्र 1.9738 हेक्टेयर, खसरा नं. 624/155, 686/155, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 100400 TPA(ROM) (सेलेबल मिनरल-70280 TPA & वेस्ट मिनरल-30120 TPA), गांव-दुजार, तहसील- लाडनूं, जिला- नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

02. और चूंकि मैसर्स किसान कन्सट्रक्सन कम्पनी, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

03. उक्त समूह खनन परियोजना से संबंधित समूह EIA/EMP Report एवं सक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

- 01. जिला कलेक्टर, नागौर।
- 02. CEO जिला परिषद् नागौर।
- 03. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालना डूंगरी, जयपुर।
- 04. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 05. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
- 06. उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं।
- 07. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिकी, नागौर।
- 08. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
- 09. ग्राम पंचायत, दुजार।
- 10. भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गांव- दुजार, तहसील- लाडनूं, जिला- नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलेक्टर-एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु.2022/335 दिनांक 16.01.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.03.2023 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे स्थान- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गांव दुजार, तहसील- लाडनूं, जिला- नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय  
(सविता)  
क्षेत्रीय अधिकारी